भूमि का भू-उपयोग अब बदल सकेंगे विकास प्राधिकरण

इंटीग्रेटेड टाउनशिप

राज्यू, जागरण, लखनऊ : इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के तहत अब विकासकर्ता के स्वामित्व वाली भूमि का भू-उपयोग विकास प्राधिकरण बोर्ड के स्तर से ही बदला जा सकेगा। प्रदेश सरकार ने भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी अपना अधिकार प्राधिकरण बोर्ड को दे दिया है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद की ओर से शुक्रवार को जारी शासनादेश के मुताबिक इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2005 व 2014 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लाइसेंस क्षेत्र में विकासकर्ता के स्वामित्व वाली भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव अब शासन को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। विकास प्राधिकरण बोर्ड को समयबद्ध कार्यवाही का अधिकार होगा। नीति में विकासकर्ताओं की ओर से लखनऊ, कानपुर, आगरा, मथुरा-वृंदावन, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, प्रयागराज आदि शहरों में 40 टाउनशिप विकसित करने संबंधी प्रस्ताव आए, इनमें पांच टाउनशिप का कार्य पूरा हुआ। सात टाउनशिप के प्रस्ताव पर कुछ नहीं हुआ, जबकि शेष 28 टाउनशिप वर्षों से विभिन्न स्तरों पर अटकी रहीं। पिछले दिनों सात निष्क्रिय टाउनशिप परियोजनाओं को निरस्त करने के साथ ही 28 अधूरी परियोजनाओं के विकासकर्ताओं की दिक्कतों को दूर करने के लिए तमाम सहूलियतें देने का सरकार ने निर्णय किया। सरकार ने 12.50 एकड़ तक की भूमि पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने की छूट दे दी।